प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील क्रमांक 95/2000

अपीलार्थी - झगरसाय उर्फ झगर, आयु 50 वर्ष, पिता रामसिंह, निवासी ग्राम भंडार देई, थाना चिरमिरी, जिला कोरिया (छ.ग.)

बनाम

प्रत्यर्थी - छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना प्रभारी, थाना चिरमिरी, जिला कोरिया (छ.ग.

युगल पीठः माननीय श्री एल.सी. भादू एवं माननीय श्री धीरेंद्र मिश्रा, न्यायमूर्तिगण

.....

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थितः

अपीलार्थी की ओर से श्री अभय तिवारी, अधिवक्ता।

राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से श्री यू.एन.एस. देव, अतिरिक्त लोक अभियोजक।

तर्क सुने गए।

न्यायासन पर मौखिक निर्णय पारित किया गया।

.....

मौखिक निर्णय

(दिनांक 23.03.2007 को प्रदत्त)

माननीय श्री एल.सी. भादू, न्यायमूर्ति द्वारा,

यह अपील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मनेन्द्रगढ़ द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 314/1999 में दिनांक 28.03.2000 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त/अपीलार्थी को अपनी पत्नी मंगोरी उर्फ सुकवरिया की हत्या कारित करने के अपराध में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत सिद्धदोष करते हुए आजीवन कारावास तथा 100/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है, तथा अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में 3 माह के सश्रम कारावास से दंडित किए जाने का आदेश दिया है।

(2) अभियोजन का मामला यह है कि दिनांक 25-05-1999 को अभियुक्त अपने निवास पर अपनी पत्नी एवं उनकी तीन वर्ष की पुत्री के साथ था। उसकी बड़ी पुत्री पार्वती उसी गाँव में अपने मामा शिवलाल के घर पर थी। रात्रि लगभग 8:30 से 9:00 बजे के बीच अभियुक्त अपनी तीन वर्ष की पुत्री को लेकर अपने साले शिवलाल के घर गया और उसने अपनी छोटी पुत्री को बड़ी पुत्री पार्वती के पास यह कहते हुए छोड़ दिया कि उसकी माँ को उल्टी हो रही है। उस समय अभियुक्त घबराया हुआ प्रतीत हो रहा था। यह सुनकर पार्वती तत्काल अपनी माँ की स्थिति देखने के लिए घर गई। घर पहुँचने पर उसने देखा कि उसकी माँ घर में मृत अवस्था में पड़ी हुई थी, उसकी गर्दन पर चोट थी और उस चोट से खून बह रहा था। जमीन पर भी खून फैला हुआ था। यह देखकर वह रोने लगी, जिस पर उसके मामा शिवलाल, नंदलाल आदि मौके पर आए, तत्पश्चात देवकुमार, राम एवं अन्य लोग भी वहाँ पहुँचे। इसके बाद सिद्धनाथ और राम शिकायत दर्ज कराने गए। सिद्धनाथ ने थाना चिरमिरी में शिकायत (प्र.पी.-4) दर्ज कराई। विवेचना अधिकारी घटनास्थल पर पहुँचा, मृतका के शव का मृत्युसमीक्षा (प्र.पी.-5) तैयार किया तथा मर्ग सूचना (प्र.पी.-6) दर्ज की। घटनास्थल से खून लगे एवं साधारण मिट्टी को जप्त किया गया। पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए अभियुक्त ने अपना प्रकटीकरण कथन (प्र.पी.-1) दिया, जिसके आधार पर कुल्हाड़ी (प्र.पी.-7) जप्त की गई। स्थल योजना (प्र.पी.-8) तैयार की गई तथा मृतका के कपड़े (प्र.पी.-9) जप्त किए गए। जप्त सामग्री को रासायनिक परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला, सागर भेजा गया, जहाँ से प्राप्त रिपोर्ट

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

के अनुसार कुल्हाड़ी पर रक्त के धब्बे पाए गए। अनुसंधान पूर्ण होने के पश्चात आरोप पत्र न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनेन्द्रगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने प्रकरण को सत्र न्यायाधीश, अंबिकापुर को सुपुर्द किया, जहाँ से यह प्रकरण विचारण हेतु अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मनेन्द्रगढ़ को अंतरित किया गया।

(6) जहाँ तक अभियुक्त-अपीलार्थी की उक्त अपराध में संलिप्तता का प्रश्न है, इस मामले में कोई प्रत्यक्ष अथवा चक्षुदर्शी साक्षी का साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। पूरा प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है।

(7) स्थापित विधि के अनुसार, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***धनंजय चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य*** **[(1994) 2 एससीसी 220]** में यह अभिनिर्धारित किया है कि—

> "परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामलों में वे सभी परिस्थितियाँ, जिनसे दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, पूर्णतः स्थापित होनी चाहिए तथा वे सभी परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति की हों और केवल अभियुक्त के दोषी होने की परिकल्पना के साथ ही संगत हों। वे परिस्थितियाँ किसी अन्य परिकल्पना से समझाई नहीं जा सकें, सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है, तथा साक्ष्यों की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषता के अनुकूल कोई भी उचित संदेह शेष न रहे। यह स्मरण रखने की आवश्यकता नहीं कि केवल विधिसम्मत रूप से स्थापित परिस्थितियाँ ही दोषसिद्धि का आधार बन सकती हैं, न कि मात्र न्यायालय की भावनात्मक प्रतिक्रिया। अपराध जितना गंभीर होगा, साक्ष्यों की जांच में उतनी ही अधिक सावधानी अपेक्षित है, ताकि संदेह प्रमाण का स्थान न ले सके।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(8) अभियोजन ने निम्नलिखित परिस्थितियों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध सिद्ध करने का प्रयास किया है—

(i) कि अपराध के समय अभियुक्त-अपीलार्थी एवं मृतका दोनों घर में उपस्थित थे;

(ii) कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने अ.सा.5 पार्वती को झूठा स्पष्टीकरण दिया;

(iii) कि अभियुक्त-अपीलार्थी घटनास्थल से फरार हो गया; तथा

(iv) कि अपराध में प्रयुक्त हथियार अभियुक्त-अपीलार्थी के कथन पर बरामद की गई।

(9) श्री अभय तिवारी ने तर्क दिया कि किसी ने भी अभियुक्त को हत्या करते हुए नहीं देखा, अतः उसे इस प्रकरण में झूठा फँसाया गया है। उन्होंने आगे यह भी तर्क किया कि अभियुक्त-अपीलार्थी के कथन पर कुल्हाड़ी की बरामदगी के संबंध में स्वतंत्र साक्षी पक्षद्रोही हो गए हैं, इसलिए अभियुक्त को अपराध से जोड़ने हेतु कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(10) इसके विपरीत, श्री देव ने विचारण न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया।

(11) जहाँ तक प्रथम एवं द्वितीय परिस्थितियों का संबंध है, अ.सा.5 पार्वती, जो अभियुक्त-अपीलार्थी की बड़ी पुत्री है, ने कहा कि घटना के दिन सायं लगभग 7-8 बजे वह अपने मामा शिवलाल के घर ग्राम भंडार देई में थी। उसी समय उसका पिता (अभियुक्त) अपनी छोटी बहन के साथ आया और उसे कहा कि वह छोटी बहन को अपने पास रखे क्योंकि उसकी माँ को उल्टी हो रही है। इसके बाद वह अपनी माँ की स्थिति देखने घर गई। घर पहुँचने पर उसने देखा कि उसकी माँ जमीन पर मृत अवस्था में पड़ी हुई थी, उसकी गर्दन पर चोट थी और उस चोट से खून बह रहा था तथा जमीन पर भी खून फैला हुआ था। जब उसका पिता छोटी बहन के साथ उसके पास आया था, तब वह घबराया हुआ था। उसने अपने पिता से पूछा कि वह क्यों घबरा रहा है, किंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने यह भी बताया कि वह अपने पिता, माता और छोटी बहन के साथ उसी घर में रहती थी। प्रतिपरीक्षण में उसने कहा कि उसके मामा का घर उसके घर से लगभग 20 मीटर की दूरी पर है तथा रात में जब उसके पिता छोटी बहन

को लेकर आए, तब उन्होंने केरोसिन लैंप जलाया था। यह कहना गलत है कि उसके पिता और मामा के संबंध अच्छे नहीं थे। अ.सा.6 देवकुमार ने कहा कि शिवलाल (अभियुक्त का साला) ने उसे बताया कि उसके बहनोई ने उसकी बहन की हत्या कर दी है, इसलिए चौकीदार राम को सूचना देने को कहा गया। उसने राम को सूचना दी, फिर सिद्धनाथ को बुलाया गया और उसके बाद रिपोर्ट दर्ज कराई गई। अ.सा.7 शिवलाल (अभियुक्त का साला) ने कहा कि घटना के दिन पार्वती उसके घर पर थी। अभियुक्त आया, अपनी छोटी पुत्री को पार्वती के पास छोड़ दिया और बताया कि उसकी माँ को उल्टी हो रही है। पार्वती ने उसे बताया कि छोटी बहन को छोड़ने के बाद अभियुक्त वहाँ से भाग गया। इस साक्षी का प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया। अ.सा.5 पार्वती की प्रतिपरीक्षण में भी बचाव पक्ष ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं कर सका जिससे उसके कथन को अविश्वसनीय या अविश्वसनीय ठहराया जा सके। पार्वती अभियुक्त की पुत्री है, अतः उसके द्वारा अपने ही पिता के विरुद्ध, वह भी अपनी माँ की हत्या जैसे गंभीर अपराध में, झूठा अभिसाक्ष्य देने का कोई कारण नहीं है। अतः अ.सा.5 पार्वती एवं अ.सा.7 शिवलाल के साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि अभियुक्त-अपीलार्थी एवं मृतका घटना के समय अपने घर में उपस्थित थे। अभियुक्त अपने साले के घर गया, अपनी तीन वर्ष की पुत्री को पार्वती के पास छोड़ा और झूठा बहाना बनाया कि उसकी माँ को उल्टी हो रही है, जबकि वास्तव में उस पर कुल्हाड़ी से प्रहार किया जा चुका था और वह मृत हो चुकी थी। चूँकि अभियुक्त घटना के समय घर पर उपस्थित था, इसलिए यह तथ्य उसके विशेष ज्ञान में था कि उसकी पत्नी को घातक चोट कैसे लगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अनुसार इन परिस्थितियों का स्पष्टीकरण देने का भार उसी पर था, किंतु उसने इसके विपरीत अपनी पुत्री पार्वती (अ.सा.5) को झूठी जानकारी दी कि मंगोरी को उल्टी हो रही है। अतः अभियुक्त द्वारा धारा 106 के अंतर्गत अपने ऊपर निहित दायित्व का निर्वहन न करना, उसके विरुद्ध एक अतिरिक्त परिस्थिति के रूप में स्थापित होता है, जो उसे उक्त अपराध से जोड़ती है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(12) जहाँ तक तीसरी परिस्थिति, अर्थात् अभियुक्त-अपीलार्थी का घटनास्थल से फरार होना, का संबंध है, अ.सा.5 पार्वती ने कहा कि अपनी छोटी बहन को उसके पास छोड़ने के बाद अभियुक्त वहाँ से भाग गया। जब वह अपने घर पहुँची, तब मंगोरी मृत अवस्था में पड़ी हुई थी और अभियुक्त वहाँ उपस्थित नहीं था। अभियुक्त ने धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अपने कथन में यह झूठा स्पष्टीकरण दिया कि वह ग्राम मंगोरा चला गया था। अ.सा.5 पार्वती के साक्ष्य से यह भी स्थापित होता है कि जब अभियुक्त अपनी छोटी पुत्री को लेकर पार्वती के पास आया, तब वह घबराया हुआ था और उसके बाद वह भाग गया। अतः अभियुक्त का यह आचरण इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि वह उक्त अपराध में संलिप्त था।

(13) जहाँ तक चौथी परिस्थिति, अर्थात् अपराध में प्रयुक्त हथियार (कुल्हाड़ी) की अभियुक्त के कथन पर बरामदगी का संबंध है, यह सत्य है कि अ.सा.1 दण्डपाणि एवं अ.सा.2 भगुनी पक्षद्रोही हो गए हैं। किन्तु विवेचना अधिकारी अ.सा.8 जे.एस. भदौरिया ने कहा कि दिनांक 31-05-1999 को अभियुक्त ने मेमोरेडम कथन (प्र.पी.-1) दिया कि उसने कुल्हाड़ी, जो अपराध का हथियार है, घर के एक कोने में रखी है और वह उसे बरामद कराएगा। उक्त कथन के अनुसार अभियुक्त उसे अपने घर ले गया और वहाँ से कुल्हाड़ी बरामद कराई गई, जिसकी जब्ती पत्रक (प्र.पी.-7) तैयार किया गया। कुल्हाड़ी पर रक्त के धब्बे पाए गए। कुल्हाड़ी को परीक्षण हेतु (प्र.पी.-10) के माध्यम से भेजा गया। अ.सा.3 डॉ. ए.के. अग्रवाल ने कहा कि उक्त कुल्हाड़ी उनके परीक्षण हेतु भेजी गई थी और परीक्षण के पश्चात उन्होंने अभिमत दिया कि मृतका की गर्दन पर पाई गई चोट उक्त कुल्हाड़ी से हो सकती है। विवेचना अधिकारी जे.एस. भदौरिया (अ.सा.8) के इस साक्ष्य को अविश्वसनीय मानने का कोई कारण नहीं है कि अभियुक्त ने प्र.पी.-1 के माध्यम से कुल्हाड़ी रखने का स्थान बताया और उसके आधार पर कुल्हाड़ी बरामद हुई तथा चिकित्सकीय साक्ष्य (अ.सा.3) द्वारा यह पुष्टि की गई कि वही कुल्हाड़ी उक्त चोट का कारण हो सकती है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(14) उपर्युक्त कारणों से, यह सिद्ध होता है कि अभियुक्त एवं मृतका साथ-साथ निवास कर रहे थे तथा अभियुक्त यह स्पष्ट करने में असफल रहा कि उसकी पत्नी को घातक चोटें कैसे लगीं। इसके अतिरिक्त, अभियुक्त का आचरण—कि वह अपनी छोटी पुत्री को बड़ी पुत्री पार्वती के पास, जो उस समय अपने मामा के घर पर थी, ले गया, उसे वहाँ छोड़कर यह झूठा बहाना बनाया कि उसकी माँ को उल्टी हो रही है, तत्पश्चात स्वयं वहाँ से भाग गया, और जब पार्वती अपने घर पहुँची तो उसने पाया कि अभियुक्त द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण असत्य था—भी उसके विरुद्ध जाता है। अपराध में प्रयुक्त कुल्हाड़ी अभियुक्त के कथन पर बरामद हुई, जिसे विधि विज्ञान प्रयोगशाला, सागर भेजा गया, जहाँ उस पर रक्त के धब्बे पाए गए। अतः इन समस्त परिस्थितियों के आधार पर यह अनिवार्य निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अभियुक्त ही उक्त अपराध का कर्ता है।

(15) परिणामस्वरूप, हमें आक्षेपित निर्णय में, जिसके द्वारा अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्ध कर दंडित किया गया है, कोई भी अवैधता या त्रुटि प्रतीत नहीं होती।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

(एल.सी. भादू)

न्यायाधीश

सही/-

(धीरेंद्र मिश्रा)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**